(2) मध्यप्रदेश संस्कृति सलाहकार मण्डल के साहित्य, रूपंकर और प्रदर्शनकारी कलाओं से संबंधित मण्डल के एक-एक सदस्य। .. सदस्य

(3) विशेष सचिव, संस्कृति विभाग .. .. सदस्य

(4) मध्यप्रदेश कला परिषद, मध्यप्रदेश साहित्य परिषद् मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी और मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के सचिव स्थायी निमंत्रित रहेंगे। सदस्य

(5) भाषा संचालक .. .. कोषाध्यक्ष

7. समिति का निर्णय :—कोष से सहायता स्वीकृत करने के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

8. व्याख्या :—इन नियमों की व्याख्या के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश. साहनी
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

संस्कृति विभाग   भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 1986

क्र. 4028-तीस-सं.वि.-86.—"मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 9 अप्रैल, 1982 भाग 4 (ग) में प्रकाशित संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. 415-संस्कृति-तीस-82, दिनांक 4 फरवरी, 1982 को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन कलाकारों/साहित्यकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सहायता देने के लिए कलाकार कल्याण कोष की स्थापना संबंधी निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

नियम

1. नियम:—ये नियम मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम, 1982 कहलायेंगे।

2. कोष की स्थापना:- (1) राज्य शासन कलाकारों/साहित्यकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सहायता के लिए कलाकार कल्याण कोष नामक एक कोष की स्थापना करेगा।

(2) इस कोष का निर्माण प्रारंभतः शासन से प्राप्त एक लाख रुपये की राशि से होगा तथा इसमें निम्नलिखित स्रोतों से समय-समय पर धनराशियां जमा की जा सकेंगी :—

(क) शासन से प्राप्त अनुदान, और

(ख) कलाकारों, साहित्यकारों तथा संस्थाओं द्वारा दान।

(3) कोष की राशि जिला कोषालय, भोपाल में निधि के नाम से वैयक्तिक खाते में जमा होगी।

(4) कोष से राशि का आहरण एवं वितरण, भाषा संचालक या उनके द्वारा नामजद किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3. पात्रता:—(1) ऐसे साहित्यकार एवं कलाकार जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी हों, इसका शपथपत्र प्राप्त होने पर तथा उनके परिवार के सदस्य सहायता पाने के पात्र होंगे।

(2) सहायता निम्नलिखित स्थितियों में दी जा सकेगी :-

(क) साहित्यकार/कलाकार का मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को,

(ख) साहित्यकार/कलाकार की लम्बी तथा गम्भीर बीमारी, दुर्घटना अथवा दैवी विपत्ति की स्थिति में,

(ग) विशेष परिस्थितियों में, जिनके संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा, साहित्यकार एवं कलाकार के परिवार के सदस्य की लम्बी अथवा गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में ।

इस नियम के लिये परिवार के सदस्य में साहित्यकार /कलाकार की पत्नी, पति, आश्रित माता-पिता, आश्रित नाबालिग भाई और बहन तथा नाबालिग बच्चे शामिल होंगे ।

(3) शासकीय कर्मचारी या स्वायत्तशासी/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत सहायता की पात्रता नहीं होगी।

एक बार सहायता प्राप्त करने के बाद यदि कोई साहित्यकार/कलाकार दुबारा और सहायता चाहे तो पुनः औचित्य दर्शाते हुए आवेदन करना होगा ।

4. सहायता की राशिः—दी जाने वाली सहायता की राशि नियम 6 के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिश पर सामान्यतः 500रु. से लेकर 5,000 रूपये तक हो सकेगी । तात्कालिक आवश्यकता होने पर संस्कृति मंत्री को समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त सहायता स्वीकृत करने का अधिकार होगा ।

5. सहायता प्राप्त करने का तरीका:—(1) सहायता प्राप्त करने के लिये परिशिष्ट एक में निर्धारित फार्म में आवेदन भाषा संचालनालय संस्कृति विभाग को करना होगा ।

(2) यदि कोई साहित्यकार/कलाकार या उसके परिवार का सदस्य स्वयं आवेदन नहीं करता और उसके स्वंय संबंध में किसी कला या साहित्यिक संस्था अथवा साहित्यकार/कलाकार के माध्यम से सिफारिश, भाषा संचालक या शासन को मिलती है तो शासन ऐसी जांच के बाद, जो वह आवश्यक समझे, प्रकरण पर निर्णय ले सकेगा ।

(3) आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने का प्रमाण-पत्र अथवा शपथ–पत्र संलग्न करना होगा ।

(4) बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिये अधिकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जावे ।

6. आवेदन-पत्रों का परीक्षणः—प्राप्त आवेदन-पत्रों अथवा प्रस्तुत प्रकरणों पर एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(1) सचिव, संस्कृति–अध्यक्ष

(2) विशेष सचिव/उपसचिव,वित्त–सदस्य

(3) साहित्य क्षेत्र का एक प्रतिनिधि (शासन द्वारा मनोनीत)–सदस्य

(4) कला क्षेत्र का एक प्रतिनिधि (शासन द्वारा मनोनीत)–सदस्य

(5) भाषा संचालक–सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष

7. समिति का निर्णयः—कोष से सहायता स्वीकृत करने के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

8. व्याख्याः—इन नियमों की व्याख्या के संबंध में शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

9. ये नियम तत्काल प्रभावशील होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक वाजपेयी, सचिव.

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

संस्कृति विभाग

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1986

क्र. 4028-तीस-सं-वि.-86.—"मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 9 अप्रैल 1982 भाग 4 (ग) में प्रकाशित संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. 415 -संस्कृति-तीन-82, दिनांक 4 फरवरी, 1982 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन कलाकारों/साहित्यकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सहायता देने के लिये कलाकार कल्याण कोष की स्थापना संबंधी निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

नियम

1. नियम.—ये नियम मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम, 1982 कहलायेंगे.

2. कोष की स्थापना .—(1) राज्य शासन कलाकारों/साहित्यकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सहायता के लिये कलाकार कल्याण कोष नामक एक कोष की स्थापना करेगा,

(2) इस कोष का निर्माण प्रारंभतः शासन से प्राप्त एक लाख रुपये की राशि से होगा. तथा इसमें निम्नलिखित स्त्रोतों से समय समय पर धनराशियां जमा की जा सकेंगी :—

(क) शासन से प्राप्त अनुदान, और

(ख) कलाकारों, साहित्यकारों तथा संस्थाओं द्वारा दान.

(3) कोष की राशि जिला कोषालय, भोपाल में निधि के नाम से वैयक्तिक खाते में जमा होगी.

(4) कोष से राशि का आहरण एवं वितरण, भाषा संचालक या उनके द्वारा नामजद किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा.

3. पात्रता—(1) ऐसे साहित्यकार एवं कलाकार जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी हों, इसका शपथपत्र प्राप्त होने पर तथा उनके परिवार के सदस्य सहायता पाने के पात्र होंगे.

(2) सहायता निम्नलिखित स्थितियों में दी जा सकेगी :—

(क) साहित्यकार/कलाकार की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को,

(ख) साहित्यकार/कलाकार की लम्बी तथा गम्भीर बीमारी, दुर्घटना अथवा दैवी विपत्ति की स्थिति में,

(ग) विशेष परिस्थितियों में, जिनके संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा, साहित्यकार/कलाकार के परिवार के सदस्य की लम्बी अथवा गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में.

इस नियम के लिये परिवार के सदस्य में साहित्यकार/कलाकार की पत्नी, पति आश्रित माता-पिता , आश्रित नाबालिग भाई और बहन तथा नाबालिग बच्चे शामिल होंगे.

(3) शासकीय कर्मचारी या स्वायत्तशासी/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत सहायता की पात्रता नहीं होगी.

एक बार सहायता प्राप्त करने के बाद यदि कोई साहित्यकार/कलाकार दुबारा और सहायता चाहे तो पुनः औचित्य दर्शाते हुए आवेदन करना होगा.

(4) सहायता की राशि.—दी जाने वाली सहायता की राशि नियम 6 के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिश पर सामान्यतः 500 रु. से लेकर 5,000 रुपये तक हो सकेगी. तात्कालिक आवश्यकता होने पर संस्कृति मंत्री को समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त सहायता स्वीकृत करने का अधिकार होगा.

5. सहायता प्राप्त करने का तरीका.—(1) सहायता प्राप्त करने के लिये परिशिष्ट एक में निर्धारित फार्म में आवेदन भाषा संचालनालय, संस्कृति विभाग को करना होगा.

(2) यदि कोई साहित्यकार/कलाकार या उसके परिवार का सदस्य स्वयं आवेदन नहीं करता और उसके संबंध में किसी कला या साहित्यिक संस्था अथवा साहि/यकार।कलाकार के माध्यम से सिफारिश. भाषा संचालक या शासन को मिलती है तो शासन ऐसी जांच के बाद, जो वह आवश्यक समझे, प्रकरण पर निर्णय ले सकेगा.

(3) आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने का प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र संलग्न करना होगा.

(4) बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिये अधिकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जावे.

6. आवेदन-पत्रों का परीक्षण.—प्राप्त आवेदन-पत्रों अथवा प्रस्तुत प्रकरणों पर एक समिति द्वारा विचार किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(1) सचिव, संस्कृति—अध्यक्ष

(2) विशेष सचिव/उपसचिव, वित्त—सदस्य

(3) साहित्य क्षेत्र का एक प्रतिनिधि (शासन द्वारा मनोनीत) —सदस्य.

(4) कला क्षेत्र का एक प्रतिनिधि (शासन द्वारा मनोनीत) —सदस्य

(5) भाषा संचालक —सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष.

7. समिति का निर्णय.—कोष से सहायता स्वीकृत करने के संबंध में समिति का निर्णय अन्तिम होगा.

8. व्याख्या.—इन नियमों की व्याख्या के संबंध में शासन का निर्णय अन्तिम होगा.

9. ये नियम तत्काल प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक वाजपेयी सचिव.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Place (3)	No. of Fast Track Courts (4)
1.	Jagdalpur	Jagdalpur	1
2.	Kanker	Kanker	1
3.	Bilaspur	Bilaspur	2
		Mungeli	1
		Pendra Road	1
4.	Janjgir	Janjgir	1
5.	Korba	Korba	1
6.	Durg	Durg	6
		Balod	1
7.	Raigarh	Raigarh	2
8.	Raipur	Raipur	6
9.	Dhamtari	Dhamtari	1
10.	Kabirdham (Kawardha)	Kawardha	1
11.	Sarguja (Ambikapur)	Ambikapur	1
		Surajpur	1
		Pratappur	1
		Ramanujganj	2
12.	Koriya (Baikunthpur)	Manendragarh	1
			Total 31

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक 441 एफ-2-7/सं./30-संशोधन.—राज्य शासन एतद्द्वारा कलाकारों/साहित्यकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सहायता देने के लिए छत्तीसगढ़ कलाकार कल्याण कोष नियम 1982 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. नियम 2 के उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए "कोष से राशि का आहरण एवं वितरण संचालक/आयुक्त संस्कृति एवं पुरातत्व या उनके द्वारा नामजद किसी अधिकारी द्वारा कोषालय से देयक द्वारा राशि आहरित कर नियम 6 के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसा के अनुरूप हितग्राहियों को राशि का भुगतान ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा किया जायेगा".

2. नियम 3 के उप नियम (4) में "सामान्यत: 500/- से 5,000/- रुपये तक हो सकेगी" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर, शब्द एवं अंक "अधिकतम सीमा 15,000/- रुपये तक हो सकेगी" स्थापित किया जाए.

3. ये संशोधन छत्तीसगढ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(3)

छत्तीसगढ़ शासन
संस्कृति विभाग
मंत्रालय
केपिटल काम्पलेक्स, महानदी भवन, नया-रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक /03/2013

क्रमांक एफ 2-7/30/सं./2006 :- राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 3 के उप-नियम (4) में विर्निदिष्ट वित्तीय सहायता की राशि में अंक ''अधिकतम सीमा 15,000/- रूपये तक हो सकेगी'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''अधिकतम सीमा रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) तक हो सकेगी'' प्रतिस्थापित किया जाए।

2. ये संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावशील होगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन.के.भट्टर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
संस्कृति विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2-7/30/सं./2006 रायपुर, दिनांक 21 /03/2013
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. संस्कृति मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर,
3. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, चिखली, खैरागढ़ रोड़, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
संस्कृति विभाग

परिशिष्ट–एक

आवेदन पत्र का फार्म

1. आवेदक का पूरा नाम ....

2. आवेदक के पिता/पति का नाम ....

3. आवेदक का पता ....

4. आवेदक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ....

5. आवेदक पर पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण ....

क्रमांक (1)	नाम (2)	आयु (3)	सम्बन्ध (4)	आय तथा आय के साधन (5)

6. स्वयं पति/पत्नी अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम यदि अचल संपत्ति हो तो उसके ब्यौरे और उससे होने वाली आय . . . .

7. साहित्य/कला के क्षेत्र में किया गया उल्लेखनीय कार्य ....

8. प्रयोजन जिसके लिये सहायता अपेक्षित है ....

9. यदि अन्य किसी स्रोत से सहायता मिली हो तो उसकी जानकारी ....

10. अन्य संगत जानकारी ....

स्थान . . . . . .
दिनांक . . . . . .

. . . .
हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम तथा प

टीप – 1. प्रत्येक कालम में जानकारी पूर्ण तथा स्पष्ट दी जानी चाहिये।

2. मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने का प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र संलग्न किया जाना चाहिये ।

3. बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिये अधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1982

क्र. 3381-4437-तीस-सं.-वि—'मध्यप्रदेश राजपत्र' दिनांक 16 मार्च, 1979, भाग 4 (ग) में प्रकाशित 'समय पर यथासंशोधन भाषा विभाग की अधिसूचना क्र. 473-तीस-भा. वि., दिनांक 26 सितम्बर, 1978 को अतिष्ठि हुए, राज्य शासन अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिये निम्नलिखित नियम है, अर्थात् —

नियम

1. यह योजना ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया है, किन्तु अर्थाभावग्रस्त ऐसे लेखकों तथा कलाकारों के आश्रितों को, जो कि अपने परिवारों को असहाय छोड़ गये हैं, वित्तीय सहायता की योजना कह